

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - राजकेश भीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 156/2022

1 धन्ना पिता भूरा चमार उग्र वयरक निवारी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा

उनवान

----- (प्रार्थी)

- वनाम
- 1 रामधन पिता उगमा जाट उग्र वयरक निवारी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
 - 2 सत्यनारायण पिता राजू जाट उग्र वयरक निवारी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
 - 3 विष्णुदत्त पिता प्रभुलाल ब्राहमण उग्र वयरक निवारी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
 - 4 रामलाल पिता धन्ना चमार उग्र वयरक निवारी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
 - 5 रामेश्वर पिता राजू जाट उग्र वयरक निवारी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
 - 6 जीतेन्द्र कुमार पिता श्रीनिवास ब्राहमण उग्र वयरक निवारी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
 - 7 सोनू पिता छोटूलाल चमार उग्र वयरक निवारी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
 - 8 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकला जिला भीलवाड़ा

उपस्थित-

----- (अप्रार्थीगण)

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 वावत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 05.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 23.08.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम अरणिया चौहान पटवार मण्डल ईटडिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 59 के आ.न. 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430 किता 12 रकबा 1.88 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.09.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस वाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत वहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अरणिया चौहान पटवार मण्डल ईटडिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 59 के आ.न. 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430 किता 12 रकबा 1.88 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढ़ी वसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसीयान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि वावत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन विन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह आदेश आज दिनांक 05.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश भीना)
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकला जिला भीलवाड़ा